पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अप्राप्त
मिसल दिनांक 6/2/17 को पेश हो

नायब तहसीलदार
मेड़ता

6/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अप्राप्त
मिसल दिनांक 20/2/17 को पेश हो

नायब तहसीलदार
मेड़ता

20/2/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का से रिपोर्ट दिनांक 17/2/17 को प्राप्त
संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का का नकी लेखा ने 22.3.नि. जांच से संबंधित एक रिपोर्ट दिनांक 1.9.16 को की कि अपार्थी ओलाराम व अन्य जाति जाट की दिवानी भील पास के पास भोलाराम के ख.नं. 192 रकबा 1.62 है. प्रेम नगर के संवत 2073 खरीफ में पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है।
इस प्रकार अपार्थी के विरुद्ध RAC 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया जिसे स्वयं अपार्थी को विधिवत तामिल कराया गया। उक्त नोटिस के जवाब में डेरा तहसील दिनांक 20/9/16 को जवाब पेश किया जिसमें उसने बताया कि उक्त ख.नं. 192 के रकबा 1.62 है. पर उसका कब्जा व काश्त जन्म से है तथा उसके मरण जोखम का एकमात्र वारिस है।
इस पर पटवारी हल्का से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया जो कि दिनांक 17/2/17 को प्राप्त हुई पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अपार्थी ने ख.नं. 192 रकबा 1.62 है. पर अतिक्रमण संवत 2073 खरीफ में उक्त ख.नं. 192 के रकबा 1.62 है. पर अतिक्रमण किया है तथा उसका यह दावा कि वह जन्म से काबिज है गलत है तथा वह राजादेह में अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल किया जाना आवश्यक है।
उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि अपार्थी ने मुतलक आराजी पर अवैध कब्जा है अतः अपार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। डेरा तहसील को लगान पर 20 x 1.62 = 32.4 को 50 गुणा x 165 (एक हजार छः सौ बीस) जुर्माना आरोपित किया जाता है। डेरा तहसील को नोटिस रूप से बेदखल करके अतिक्रमित वसूली एवं भोग कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का को तथा TRA को लिखा जावे। पत्रावली बाद फैसला के फल स्वरूप होकर जाकर पेश हो।
निर्णय करे इजलास प्रकाशित

नायब तहसीलदार
मेड़ता

वर्ष 2016-17 ... रुपये 1620
से. 4 कोष्ठक सं. 16 पर दर्ज की
तहसील राजस्व लेखाकार मेड़ता